रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1494] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2015/आषाढ़ 24, 1937
No. 1494] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2015/ASHADHA 24, 1937

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 8 जुलाई, 2015

का. आ. 1915(अ).—अधोहस्ताक्षरी को बजट घोषणा के अनुसरण में नई केंद्रीय सेक्टर स्कीम नामत: राष्ट्रीय युवा नेतृत्व कार्यक्रम (एनवाईएलपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा विकास कोष (एनवाईडीएफ) की स्थापना करने के लिए भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है।

2. राष्ट्रीय युवा विकास कोष (एनवाईडीएफ) की स्थापना पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के अंतर्गत की जा रही है। राष्ट्रीय युवा विकास कोष के अंतर्गत निधियों का उपयोग अब पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के अनुसार पूर्त प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

[सं. एफ. 2-2/2015-एनवाईकेएस]

एम. एल. मीना, उप सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2015

S.O. 1915(E).—The undersigned is directed to convey the approval of the President of India to the setting up of National Youth Development Fund (NYDF) under the new Central Sector Scheme namely National Youth Leaders Programme (NYLP) in pursuance to the Budget Announcement.

2. The National Youth Development Fund (NYDF) is being setup under the Charitable Endowments Act, 1890. The funds under the National Young Development Fund shall now be utilized for charitable purposes as per the provisions of the Charitable Endowments Act, 1890.

[No. F. 2-2/2015-NYKS]

S. L. MEENA, Dy. Secy.

(युवा कार्यक्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2015

का.आ. 1916(अ).—सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, वह व्यक्ति जिसका संबंध जिसका युवा कार्यक्रम विभाग राष्ट्रीय युवा विकास निधि, नई दिल्ली की निधियों का पूर्त प्रयोजनों के लिए न्यास में प्रयोग करने का प्रस्ताव है, ने इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" (जिसे आगे "उक्त अनुसूची" कहा गया है) में उल्लिखित निधियों को भारत के पूर्त-विन्यास के कोषपाल में निविष्ट करने और उक्त निधि के प्रबंधन तथा प्रशासन के लिए एक स्कीम तैयार करने हेतु आवेदन किया है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार ने पूर्त-विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के धारा 4 के उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोक्तानुसार को लागू करते हुए, तथा परियोजना मूल्यांकन निकाय अर्थात सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की सिफारिशों के आधार पर तथा माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), युवा कार्यक्रम और खेल के अनुमोदन के साथ, प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी यह आदेश देते हैं कि उक्त अनुसूची में विर्निदिष्ट राशि और उक्त निधि के प्रबंधन तथा प्रशासन के लिए इसके साथ संलग्न अनुसूची "ख" में निर्दिष्ट स्कीम में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अनुसरण में उक्त राशि से होने वाली उद्भूत आय इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से उनके द्वारा धारित और कार्यालय में उक्त राशि को धारण करने के लिए उनके उत्तराधिकारी द्वारा भारत के पूर्त-विन्यास के कोषपाल में निहित की जाएंगी।

इस अधिसूचना की अनुसूची "ख" में विर्निदिष्ट स्कीम को उस प्रयोजन के लिए तैयार किया गया है जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची 'क'

राष्ट्रीय युवा विकास निधि

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम विभाग राष्ट्रीय युवा विकास निधि की निधियों में अपने योजनागत बजट में से पांच करोड़ रुपए का अंशदान देगा।

अनुसूची 'ख'

राष्ट्रीय युवा विकास निधि के प्रशासन की स्कीम

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ - इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय युवा विकास निधि स्कीम, 2015 है।
2. **परिभाषाएं** – इस स्कीम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अध्यक्ष" का परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत;

(ख) "समिति" का से पैरा-10 के अधीन गठित कार्यकारणी समिति अभिप्रेत;

(ग) "परिषद" के अनुच्छेद-6 के अधीन गठित परिषद अभिप्रेत;

(घ) "निधि" का से अर्थ राष्ट्रीय युवा विकास निधि अभिप्रेत है;

(ड़) "सदस्य सचिव" से पैरा-6 के अधीन गठित परिषद का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

3. निधि के उद्देश्य—निधि के उद्देश्य होंगे—

(i) निधि की राशि का राष्ट्रीय युवा नीति के उद्देश्यों के अनुसार युवाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के लिए प्रयोग और लागू करना;

(ii) युवाओं को समुदाय सेवा और राष्ट्र निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में सम्मलित करने के लिए कार्यक्रम चलाना;

(iii) युवाओं के विकास और सशक्तीकरण के लिए यथाअपेक्षित अवसंरचना का निर्माण और उसका अनुरक्षण करना;

(iv) युवाओं के विकास और सशक्तीकरण के लिए यथाआवश्यक साधन और उपकरण प्रदान करना;

(v) विभिन्न युवा लक्षित समूहों की समस्याओं की पहचान करना और इसे हल करने के लिए बोध एवं विकास अध्ययन करना;

(vi) युवाओं में युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों तथा अन्य आवश्यक कदमों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का संवर्धन करना; और

(vii) युवा विकास के लिए ऐसी अन्य गतिविधियां चलाना जो उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए आवश्यक अथवा प्रासंगिक हों।

4. निधि की आस्तियां—(1) अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट निधियों के अतिरिक्त, निधि की आस्तियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, भारत सरकार के योजनागत बजट से समय-समय पर प्रदत्त निधियां; और

(ख) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों अनुदान और अंशदान।

(2) निधि में संसद के अधिनियम अथवा राज्य विधान मंडलों के अंतर्गत सृजित कानूनी निकायों, संयुक्त राष्ट्र तथा इसके संबद्ध निकायों, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, प्राइवेट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, न्यासों, सोसाइटियों और व्यष्टिकों से अंशदान स्वीकार किया जाएगा।

परंतु किसी व्यष्टि अथवा किसी संगठन से अंशदान स्वीकार करने के बारे में अथवा कोई विवाद होने के मामले में परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

5. निधि की आस्तियों का विहित करना— (1) स्कीम के अधीन निधि की आस्तियां भारत के पूर्त-विन्यास के कोषपाल में रखी जाएंगी।

(2) पूर्त-विन्यास का कोषपाल निधि के प्रबंधन अथवा प्रशासन में भाग नहीं लेगा, बशर्ते केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी साधारण अथवा विशिष्ट निदेशों के अधीन यह प्रबंधन परिषद में निहित होगा।

6. परिषद का गठन–निधि के प्रबंधन और प्रशासन के लिए केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित सदस्यों की एक परिषद निम्नलिखित से मिलकर गठन करेगी, अर्थात:—

1.	युवा कार्यक्रम और खेल के प्रभारी मंत्री	:	अध्यक्ष (पदेन)
2.	सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम विभाग	:	सदस्य (पदेन)
3.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम	:	सदस्य (पदेन)
4.	वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	:	सदस्य (पदेन)
5.	महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन	:	सदस्य (पदेन)
6.	कार्यक्रम सलाहकार, राष्ट्रीय सेवा योजना	:	सदस्य (पदेन)
7.	निदेशक, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	:	सदस्य (पदेन)
8.	युवा विकास के क्षेत्र में अधिकतम पांच प्रख्यात व्यक्ति जिनमें युवा विकास के लिए कार्यरत अथवा योगदान देने वाले संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे	:	सदस्य
9.	एक अधिकारी जो उप-सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम विभाग के पंक्ति से कम न हो	:	सदस्य-सचिव

7. परिषद् की बैठकें —निधि के नीति संबंधी मामलों और संबंधित मुद्दों जिन पर परिषद् द्वारा निर्णय मांगा गया हो, पर निर्णय लेने के लिए परिषद् की वर्ष में न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित की जाएगी।

8. परिषद् की बैठकों का गणपूर्ति और परिषद् के निर्णय —(1) परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति परिषद की संख्या का आधा होगा।

(2) परिषद् सभी मामलों पर सहमति से विनिश्चय लेगी बशर्ते कि मतभेद की स्थिति में संकल्प को मत के लिए रखा जाएगा और मौजूदा सदस्यों के बहुमतों द्वारा उसका निर्णय किया जाएगा और मत बराबर होने के मामले में अध्यक्ष को दूसरा अथवा निर्णायक मत देना का अधिकार होगा।

9. रिक्तियों द्वारा कार्यवाही को अविधिमान्य न ठहराना—(1) परिषद की किसी कार्यवाही को केवल परिषद के गठन में किसी रिक्ति के कारण से अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा:

परंतु किसी भी समय परिषद के सदस्यों की संख्या परिषद की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति से कम नहीं होगी।

(2) यहां इस अंतर्विष्ट के उपबंधों के अधीन परिषद् केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने कारबार के संचलन के लिए विनियम बना सकती है।

10. कार्यकारी समिति—(1) निधि के दैनिक प्रबंधन निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे, अर्थात:—

(क)	सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम विभाग	:	अध्यक्ष (पदेन)
(ख)	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम विभाग	:	सदस्य (पदेन)
(ग)	वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	:	सदस्य (पदेन)
(घ)	महानिदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन	:	सदस्य (पदेन)
(ड)	कार्यक्रम सलाहकार, राष्ट्रीय सेवा स्कीम	:	सदस्य (पदेन)
(च)	परिषद के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से अधिकतम तीन प्रख्यात व्यक्ति जिन्हें परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	:	सदस्य
(छ)	परिषद का सदस्य-सचिव	:	सदस्य-सचिव

बशर्ते कि कार्यकारी समिति अपने विचार-विमर्शों में सहायता के लिए विशेषज्ञों को बुला सकती है।

11. **परिषद् की बैठकों की गणपूर्ति और परिषद् के निर्णय** —

(1) परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति परिषद की संख्या का आधा होगा।

(2) ऐसे सभी मामलों का निर्णय सम्मति से लिया जाएगा जिसके न होने पर विद्यमान सदस्यों के मतों की बहुलता और विचाराधीन मत के आधार पर विनिश्चय लिया जाएगा तथा मतों के समान होने की स्थिति में अध्यक्ष को दूसरा अथवा निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।

12. **समिति की बैठकें** — समिति की आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित की जाएगी किंतु वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें आयोजित की जाएंगी।

13. विनियम—परिषद् समय-समय पर केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकारियों को कर्मचारिवृन्दों के प्रबंधन, नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों तथा निधि के प्रयोजनों के निष्पादन तथा प्रबंधन से जुड़े किसी अन्य उद्देश्यों के लिए और उसके कार्य के संचालन के लिए विनियम बना सकती है।

14. विनिधान करना— (1) परिषद् निधि के विनिधान करने की समग्र नीति के संबंध में निर्णय लेगी।

(2) समिति न्यास राशि के विनिधान करने के लिए जैसा कि समिति उचित समझे, विधि द्वारा उस समय प्राधिकृत विनिधियन के किसी ढंग अथवा अन्य तरीकों से निधि की आस्तियों का विनिधान करेगी।

(3) समिति निधि की राशि जिसकी तत्काल आवश्यकता न हो, प्रमाण-पत्रों में लघु अवधि आधार पर विनिधान कर सकती है।

15. संविदा- सभी संविदाएं और अन्य आश्वासन परिषद् के नाम निष्पादित किए जाएंगे तथा उन पर राष्ट्रीय युवा विकास निधि के प्रभारी संयुक्त सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा उनकी ओर से उसकी परिषद् द्वारा समुचित रूप से प्राधिकृत परिषद् के सदस्य अथवा परिषद् के किसी अन्य सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

16. विन्यास :- (1) परिषद् निधि के प्रसार अथवा उसके किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई विन्यास, संदान अथवा अन्य अंशदान स्वीकार कर सकती है।

(2) परिषद् योजना के किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो योजना के अनुरूप न हो अथवा जिसे स्कीम के उपबंधों के कार्यकरण में बाधा डालने वाला माना गया हो, के लिए भी किसी विन्यास, संदान अथवा अन्य अंशदान को स्वीकार कर सकती है।

(3) निधि के दानदाता के लिए उस विर्निदिष्ट स्कीम अथवा उद्देश्य को दर्शाने की अनुज्ञेय होगी जिसके लिए उनकी इस स्कीम के अनुच्छेद-3 में यथानिर्दिष्ट निधि के 'उद्देश्य' के ढांचे के भीतर दान दी गई निधियों के उपयोग की आशचित है।

(4) विन्यास संदान अथवा अन्य अंशदान स्वीकार करते हुए परिषद् जहां तक संभव हो, दानदाता के विकल्प का सम्मान करेगी।

17. वित्तीय सहायता की पात्रता:- (1) किसी सोसाइटी अथवा सार्वजनिक अथवा न्यास अथवा किसी अन्य विधान के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत सभी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन जिनका न्यूनतम तीन वर्ष के लिए युवा विकास गतिविधियों में अच्छा अभिलेख रहा हो, निधि से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी और वैयक्तिक युवाओं को भी सहायता दी जा सकती है।

(2) सहायता प्राप्त करने वाले संगठन अथवा व्यक्तियों को परिषद् द्वारा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर संगत विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे और निधियों की भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।

18.परिषद् को आवेदन:- (1) पात्र संगठनों से वित्तीय सहायता अथवा निधियों के अंतर्गत आवेदन इस योजना से संवद्ध परिशिष्ट में यथा निर्धारित प्रारूप में होगा।
(2) निधि से अथवा उसके अधीन वित्तीय सहायता का निर्णय परियोजना पर विचार करते हुए, कार्याकारी निकाय की स्थिति और दानदाता की इच्छा पर विचार करते हुए लिया जाएगा और निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता की कोई उच्च सीमा नहीं होगी।
19. आवेदन पर विचार:- निधि से वित्तीय से के लिए सभी आवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उनका निपटान किया जाएगा और परिषद् को ऐसे निर्णयों के बारे में संसूचित किया जाएगा :

परंतु किसी आवेदन पर विचार करने से पहले समिति का अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, ऐसे आवेदन को विचार व्यक्त करने के लिए परिषद् अथवा किसी अन्य निकाय को भेज सकता है।

20. वित्तीय सहायता रोकने के अधिकार:- समिति का अध्यक्ष, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले किसी कारण से स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता को रोक सकता है अथवा गैर-वितरित वित्तीय सहायता में कमी कर सकता है।

21. वित्तीय सहायता की शर्तें:-(1) गैर-सरकारी संगठन जो निधि से वित्तीय सहायता ले रहे हो, को उसका एक पृथक खाता रख सकेगा और इस संबंध में समिति को निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) गैर-सरकारी संगठन निर्धारित अनुवद्ध अवधि के भीतर प्राप्त वित्तीय सहायता के संपरीक्षित लेखे उपलब्ध करवाएगा और निधि के अधिकारियों अथवा ऐसे अन्य अधिकारियों जिन्हें इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, को निष्पादित कार्यक्रम के निरीक्षण अथवा उस संगठन द्वारा रखी गई बहियों के निरीक्षण में सहायता करेगा।

(3) यदि गैर-सरकारी संगठन अनुदान स्वीकृत करने के समय केंद्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित निबंधनों और शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

22. परिषद् अथवा समिति के सदस्यों का पदावधि-(1) परिषद् अथवा समिति का सदस्य उस स्थिति में सदस्य नहीं रहेगा, यदि किसी सदस्य को -

(i) दीवालिया घोषित किया गया हो; अथवा

(iiii) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया हो जिसमें केंद्रीय सरकार के मत से नैतिक अधमता हो; अथवा

(iii) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो।

(2) युवा कार्यक्रम विभाग में केंद्रीय सरकार परिषद् और समिति में गैर-सरकारी सदस्यों को नामोदिष्ट करेगी तथा इन सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह पुनः नामोदिष्ट किए जाने के पात्र होंगे।

23. परिषद् और समिति की सदस्य-सचिव के अधिकार और कृत्य:-

सदस्य सचिव,

(क) परिषद् और समिति के सभी अभिलेखों का अभिरक्षक होगा;

(ख) परिषद् और समिति की ओर से शासकीय पत्राचार करेगा;

(ग) परिषद् तथा समिति की बैठकों के संचालन के लिए नोटिसों को जारी करेगा;

(घ) परिषद् तथा समिति एवं ऐसे अन्य निकायों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखेगा;

(ड.) परिषद् की ओर से लेखों के अनुरक्षण तथा सभी संविदाओं के निष्पादन के लिए निधि के अंतर्गत संपत्तियों अथवा राशि का प्रबंधन करेगा;

(च) परिषद् और समिति के प्रशासनिक व्ययों से संबंधित बजट तैयार करेगा जैसे कि सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर व्यय, जिसे निधि में विधिवत किया जाएगा;

(छ) परिषद् अथवा समिति द्वारा उसे सौंपे गए सभी अन्य अधिकारों का निर्वाहन करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।

24. निधियों का आबंटनः- समिति निधि की कुल राशि का समायोजन अवधारित करेगी जिसे किसी वर्ष में इस स्कीम के उद्देश्य के लिए लागू किया जाएगा और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निधि के संचालन के लिए प्रशासनिक अवसंरचना प्रदान की जाएगी।

25. निधियां वापस लेनाः- (1) समिति विनियमों के उपबंधों के अनुसार परिषद् के लेखों से निधियां वापस लेने के लिए विनियमों को अवधारित करेगी।

(2) वापसी चैक द्वारा की जाएगी जिस पर समिति द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे अथवा यह वापसी ऐसे किसी अन्य रीति से की जाएगी जिसका समिति द्वारा निर्णय लिया गया हो।

26. भत्तेः- (1) परिषद् तथा समिति के सदस्य समिति द्वारा अवधारित दर पर यात्रा एवं दैनिक भत्तों को छोड़कर किसी अन्य पारिश्रमिक के पात्र नहीं होंगे।

(2) परिषद् तथा समिति के सदस्य जो शासकीय हों, उस स्रोत से उनको अनुज्ञेय यात्रा एवं दैनिक भत्ते आहरित कर सकते है जहां से वे अपना वेतन आहरित लेते है।

(3) परिषद् तथा समिति के अशासकीय सदस्य समिति द्वारा यथा अवधारित यात्रा एवं अन्य भत्ते लेने के पात्र होंगे।

27. लेखा की लेखापरीक्षाः- (1) निधि की समस्त राशि और संपत्तियों के लेखे तथा निधि के आय और व्यय का अनुरक्षण सदस्य-सचिव द्वारा किया जाएगा और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इसकी लेखापरीक्षा की जाएगी जो यह प्रमाणित करेगा कि निधि से व्यय स्कीम के उपबंधों के अनुसार किया गया है।

(2) निधि के वार्षिक खातों का कथन परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसकी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा और प्रमाणित किए जाने तथा परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् इसे परिषद् के सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) वार्षिक लेखों के कथन को संसद दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

28. वार्षिक रिपोर्टः- (1) परिषद् का सदस्य-सचिव परिषद् के अनुमोदन से पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में 31 जून तक उस वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय युवा विकास निधि के कार्यकरण के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे युवा कार्यक्रम विभाग में केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट को साधारण वित्तीय नियम, 2005 के उपबंधों प्रावधानों के अनुरूप संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा।

[एफ.सं.2-2/2015.एनवाईकेएस]

एल.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

(अनुसूची-ख का पैरा 20 देखें)

राष्ट्रीय युवा विकास निधि, 2015

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप

1.	आवेदक संगठन व्यष्टिक का नाम और पता/	
2.	संगठन की स्थापना की तारीख	
3.	की गई युवा विकास गतिविधियों का संक्षिप्त इतिहास और संक्षिप्त सार यदि आवश्यक हो तो पृथक पन्ना संलग्न करें)	
4.	किया यह संगठन तत्समय प्रवृत किसी विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है? यदि ऐसा है, तो उसका ब्यौरा दें।	
5.	या यह राष्ट्रीय राज्य/जिला स्तर का संगठन है/	
6.	क्या संगठन युवा कार्यक्रम और खेल विभाग अथवा भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालयविभाग/स्वायत्त निकाय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है/? यदि ऐसा है, तो इसका विवरण ब्यौरा दें।	
7.	क्या संगठन किसी कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रहा है? यदि ऐसा है, तो उसका विवरण ब्यौरा दें।	
8.	क्या संगठन भारत में अथवा विदेश में किसी अन्य संगठन से नगद अथवा उस प्रकार से कोई अनुदान प्राप्त करता है? यदि ऐसा है, तो उसका विवरण ब्यौरा दें।	
9.	प्रस्ताव का ब्यौरा क) प्रस्ताव का शीर्षक और संक्षिप्त वर्णन ख) प्रस्ताव के अधीन किए जाने वाले कार्यक्रमों / गतिविधियों की प्रकृति ग) प्रस्ताव के अधीन शामिल किया जाने वाला भूगोलिक क्षेत्र	

	घ) प्रस्ताव के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित युवा की संख्या ड.) प्रस्ताव की अवधि क्रियान्वयन अनुसूची/ च) प्रस्ताव की कुल लागत, विस्तृत अलग-अलग विवरण छ) आवेदक द्वारा परियोजना की कुल लागत में से किया जाने वाला वित्तीय अभिदान ज) एनवाईडीएफ से अपेक्षित वित्तीय सहायता झ) परियोजना प्रस्ताव से संभावित परिणामकायदा/ कृपया उपरोक्त पहलुओं को शामिल करते हुए विस्तृत प्रस्ताव/स्कीम की एक प्रति संलग्न करें।/	
10.	आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व:-प्रमाणित प्रतियां- (i) संगठन का रजिस्ट्रीकरण पत्र (ii) संगठन का संगम ज्ञापन/ उप-नियम/विनियम (iii) पिछले दो वर्षों के संपरीक्षित वार्षिक लेखे (प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक रिपोर्ट) (iv) प्रबंध बोर्ड/कार्यकारणी समिति के विद्यमान सदस्यों/ अधिकारियों की सूची (v) संगठन के कर्मचारीवृन्द (नाम और उनके वर्तमान पारिश्रमिक प्रदान करें)।	

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचना सही है और किसी सूचना को रोकने अथवा गलत सूचना देने से अनुदान की स्वीकृति निरस्त/वसूली की जाएगी और विधि के अधीन अन्य ऐसी कार्रवाई की जाएगी।

संगठन के अध्यक्ष/सचिव/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम-------------------

स्थान..................

तारीख.................

(Department of Youth Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2015

S.O. 1916(E).—Whereas the Secretary to the Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Youth Affairs, being the person who proposes to apply the funds of the National Youth Development Fund, New Delhi, in trust for charitable purposes, has applied for vesting the funds mentioned in Schedule 'A' annexed hereto (herein after referred to as "the said Schedule") in the Treasurer of Charitable Endowments for India and for the settlement of a Scheme for the management and administration of the said Fund;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and upon the application as aforesaid, and on the recommendations of Project Appraisal body, i.e. the Standing Finance Committee (SFC) chaired by the Secretary, Department of youth Affairs and with the approval of the Hon'ble Minister (Independent Charge), Youth Affairs and Sports, the Competent Authority to approve the proposal, do hereby order that the moneys specified in the said Schedule shall, as from the date of publication of this notification in the Official Gazette, be vested in the treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and his successors in office upon trust to hold the said moneys and the income arising out of the said

moneys in accordance with the terms and conditions mentioned in the Scheme specified in Schedule 'B' annexed hereto for the management and administration of the said Fund;

The Scheme specified in Schedule 'B' to this notification has been settled for the purpose which shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE 'A'

National Youth Development Fund

The Government of India, Department of Youth Affairs shall contribute rupees five crore out of its Plan Budget towards the funds of the National Youth Development Fund.

SCHEDULE 'B'

Scheme for the Administration of the National Youth Development Fund

1. **Short title and Commencement.** - This scheme may be called the National Youth Development Fund Scheme, 2015.

2. **Definitions.** - In this scheme, unless the context otherwise requires,—

   (a) "Chairperson" means the Chairperson of the Council;
   (b) "Committee" means the Executive Committee constituted under Paragraph-10;
   (c) "Council" means the Council constituted under Paragraph-6;
   (d) "Fund" means the National Youth Development Fund;
   (e) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Council constituted under Paragraph-6;

3. **Objects of the Fund.** - The Objects of the Fund shall be,-

   (i) to administer and apply the moneys of the Fund for all round development and empowerment of youth in accordance with the objectives of the National Youth Policy;

   (ii) to take up programmes for engaging the youth in community service and various nation-building activities;

   (iii) to construct and maintain infrastructure, as may be required, for development and empowerment of youth;

   (iv) to provide tools and equipments, as may be required, for development and empowerment of youth;

   (v) to identify problems of different youth target groups and take up research and development studies for addressing the same;

   (vi) to promote international perspective among the youth through youth exchange programmes and other necessary steps; and

   (vii) to take up other activities for youth development, as may be necessary or incidental to the objects mentioned above.

4. **Assets of the Fund.** – (1) In addition to the funds, specified in Schedule 'A', the assets of the Fund shall include,-

(a) funds provided out of the Plan Budget of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Youth Affairs Government of India from time to time, and

(b) grants and contributions, both recurring and non-recurring, from the Central Government and the State Governments.

(2) The Fund shall accept contributions from statutory bodies created under the Acts of Parliament or of the State Legislatures, the United Nations and its associate Bodies, other International Organisations, private and public sector corporates, trusts, societies and individuals.

Provided that in case of any conflict in the matter of acceptance or otherwise of contributions from an individual or an organisation, the decision of the Council shall be final.

5. **Vesting of the assets of the Fund.** – (1) The assets of the Fund shall be vested in the treasurer of Charitable Endowments for India under the Scheme.

(2) The treasurer of Charitable Endowments shall not act in the management or administration of the Fund, but subject to any general or special directions given by the Central Government, such management shall be vested in the Council.

6. **Constitution of the Council.** - For the management and administration of the Fund, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Council consisting of the following members, namely:–

1.	Minister in-charge of Youth Affairs and Sports	:	Chairperson (ex-officio)
2.	Secretary to the Government of India, Department of Youth Affairs	:	Member (ex-officio)
3.	Joint Secretary to the Government of India, Department of Youth Affairs	:	Member (ex-officio)
4.	Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs and Sports	:	Member (ex-officio)
5.	Director General, Nehru Yuva Kendra Sangathan	:	Member (ex-officio)
6.	Programme Adviser, National Service Scheme	:	Member (ex-officio)
7.	Director, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development	:	Member (ex-officio)
8.	Upto five eminent persons in the field of youth development including representatives of organisations working for or making contributions for youth development.	:	Members
9.	An officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India, Department of Youth Affairs	:	Member-Secretary

7. **Meetings of the Council.** - The Council shall meet at least once in a year to decide policy matters or issues relating to the Fund, on which its decisions are sought by the Committee.

8. **Quorum of the meetings of the Council and decisions of the Council.** – (1) The quorum for a meeting of the Council shall be one-half of the strength of the council.

(2) The Council shall decide all matters by consensus provided that in case of difference, the resolution shall be put to vote and decided by majority of votes of the members present and voting and in case of equality of votes, the Chairperson shall have a second or a casting vote.

9. **Vacancies not to invalidate proceedings.-** (1) No act or proceeding of the council shall be invalid merely by reason of any vacancy in the constitution of the council:

Provided that at no point of time the number of members of the council shall be less than the quorum required for a meeting of the council.

(2) Subject to the provisions herein contained, the Council may, with the previous approval of the Central Government, make regulations for the conduct of its business.

10. **Executive Committee.** – (1) The day-to-day management of the Fund shall be managed by an Executive Committee consisting of following members, namely:–

(a) Secretary to the Government of India, Department of Youth Affairs.	:	President (ex-officio)
(b) Joint Secretary to the Government of India, Department of Youth Affairs.	:	Member (ex-officio)
(c) Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs and Sports.	:	Member (ex-officio)
(d) Director General, Nehru Yuva Kendra Sangathan.	:	Member (ex-officio)
(e) Programme Adviser, National Service Scheme.	:	Member (ex-officio)
(f) Upto three eminent persons, out of the persons nominated as members of the Council, to be nominated by the Chairperson of the Council.	:	Members
(g) Member-Secretary of the Council.	:	Member-Secretary

Provided that the Executive Committee may call upon experts to assist it in its deliberations.

11. **Quorum of the meetings of the Committee and decisions of the Committee.-**

(1) The quorum for a meeting of the Executive Committee shall be one-half of the total number of members of the Committee.

(2) All matters on which the decision of the Committee is required shall be decided by consensus failing which by majority of votes of the members present and voting on the question and in case of equality of votes, the President shall have a second or casting vote.

12. **Meetings of the Committee.** - The Committee shall meet as often as necessary, but not less than four times in a year.

13. **Regulations.** - The Council may from to time, with the previous approval of the Central Government, make regulations for management, appointment of officers and staff and their terms and conditions of service and for any other purpose connected with the execution and management of the objects of the Fund, and for conduct of its business.

14. **Investment.** – (1) The Council shall decide on the overall policy of investment of the Fund.

(2) The Committee shall invest the assets of the Fund in any one or more of the mode of investments for the time being authorised by law for the investment of the trust money, as the Committee may think proper.

(3) The Committee may invest moneys of the Fund not immediately required on short term basis in fixed deposit or certificates.

15. **Contracts.** - All contracts and other assurances shall be executed in the name of the Council and signed on their behalf by the Joint Secretary, Department of Youth Affairs in-charge of the National Youth Development Fund, in his or her capacity as the Member of the Council or any Member of the Committee duly authorised by the Council.

16. **Endowments.** – (1) The Council may accept any endowments, donation or other contributions in augmentation of the Fund or towards actualisation of any its objects.

(2) The Council may also accept endowments, donations or other contributions for any special purpose connected with any of the Scheme not inconsistent with or calculated to impede the due working of the provisions of the Scheme.

(3) It shall be permissible for a donor to the Fund to indicate specific project or purpose for which they intend the donated funds to be utilised, within the framework of the 'objects' of the Fund as specified in Paragraph 3 of this Scheme.

(4) The Council while accepting endowments, donations or other contributions shall respect the choice of the donor, to the extent possible.

17. **Eligibility of financial assistance.** – (1) All Government or non-Government organisations, registered as a Society or Public Trust or under any other Legislation, having a track record of undertaking youth development activities for at least three years shall be eligible for applying for financial assistance from the Fund and assistance may also be given to individual youth.

(2) The organisations or persons receiving assistance shall have to submit utilization certificate with relevant details within the period of time as may be specified by the Council and the Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India.

18. **Application to the Council.** – (1) The application for financial assistance from or under the Fund from eligible organizations shall be in the Form as specified in Appendix annexed to this Scheme.

(2) The financial assistance from or under the Fund shall be decided by the Committee taking into consideration the project, the status of the executing body as also the wishes of the donors and there shall be no upper limit of financial assistance under the Fund.

19. **Consideration of application.** – All applications for financial assistance from the Fund shall be considered and disposed of by the Committee and the Council shall be informed of such decisions:

Provided that before any application is considered, the President of the Committee, if he thinks it necessary to do so, may refer such application to the Council or any other body for expressing its views thereon.

20. **Power to withhold financial assistance.** - The President of the Committee, if he thinks it necessary to do so, and for reasons to be recorded in writing, may withhold or reduce any undisbursed financial assistance, made under the Scheme.

21. **Conditions of financial assistance.** – (1) The non-Governmental organisation which is availing financial assistance from the Fund shall maintain a separate account thereof and shall furnish utilisation certificate within the time specified in this behalf, to the committee.

(2) The non-Governmental orgainsation shall make available audited accounts of the financial assistance received within the stipulated time and assist the officers of the Fund or such other Officers, who may be so authorised in this behalf, in the inspection of the programmes executed or books maintained by such organisations.

(3) In case the non-Governmental organisation do not comply with the terms and conditions imposed by the Central Government while sanctioning the grant, action shall be taken against them in accordance with law.

22. **Term of office Members of the Council or Committee.** – (1) A member of the council or the committee shall cease to be as such, if such member, -

(i) has been adjudged as an insolvent; or

(ii) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves, moral turpitude; or

(iii) has become physically and mentally incapable of acting as member.

(2) The Central Government in the Department of Youth Affairs shall nominate the non-official members on the Council and the Committee and such member shall be appointed for a period of three years and shall be eligible for re-nomination.

23. **Powers and functions of Member-Secretary of the Council and Committee.** –

The Member-Secretary shall,

(a) be the custodian of all records of the Council and the Committee;

(b) conduct the official correspondence on behalf of the Council and the Committee;

(c) issue the notices for convening the meetings of the Council and Committee;

(d) keep minutes of all meetings of the Council and the Committee and of such other bodies;

(e) manage the properties or the moneys under the Fund, to maintain accounts and execute all contracts on behalf of the Council;

(f) prepare the budget relating to the administrative expenses of the Council and Committee such as expenditure on travelling allowances and daily allowances of the members, which shall be a legitimate charged on the Fund;

(g) exercise all other powers and execute such other functions as may be assigned to him by the Council or Committee.

24. **Allocation of funds.** - The Committee shall determine the proportion of the total moneys of the Fund which shall be applied for the purpose of this Scheme in a particular year and there shall be provided administrative infrastructure for operation of the Fund after obtaining necessary approvals.

25. **Withdrawal of funds.** - (1) The Committee shall determine the procedures in accordance with the provisions of regulations for withdrawal of funds from the accounts of the Council.

(2) The withdrawal shall be made by cheques to be signed by an officer as may be authorised by the Committee or in any other manner as may be decided by the Committee.

26. **Allowances.** - (1) The members of the Council and Committee shall not be entitled for any remuneration except travelling and daily allowance at the rate to be determined by the Committee.

(2) Members of the Council and Committee, who are Government officials may draw travelling and daily allowance, as admissible to them, from the source from which they draw their salaries.

(3) Non-official members of the Council and Committee shall be entitled to draw such travelling and other allowances as may be determined by the Committee.

27. **Audit of accounts.** – (1) Accounts of all moneys and properties of the Fund and of income and expenditure of the Fund shall be maintained by the Member-Secretary and audited by the Comptroller and Auditor General of India, who shall certify that the expenditure from the Fund has been incurred in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) A Statement of the annual accounts of the Fund shall be approved by the Council and after the same has been audited and certified by the Comptroller and Auditor General of India and approved by the Council shall be submitted by the Member Secretary of the Council to the Government of India every year.

(3) The statement of annual accounts shall be laid before each House of Parliament.

28. **Annual report.** - (1) The Member –Secretary of the council with the approval of the council, shall prepare annual report on the working of the National Youth Development Fund during a particular financial year by the 31st June in the subsequent financial year and the same shall be presented to the Central Government in the Department of Youth Affairs.

(2) The report prepared under sub-para (1) shall be laid before each House of Parliament in accordance with the provisions of the General Financial Rules, 2005.

[F.No. 2-2/2015-NYKS]
L. K. GUPTA, Jt. Secy.

APPENDIX

(See Para 20 of Schedule B)

National Youth Development Fund, 2015

Form for submission of Applications for Financial Assistance

1.	Name and address of the applicant organisation/ individual	
2.	Date of establishment of the organisation	
3.	Brief history and a brief account of youth development activities undertaken (Attach separate sheet, if necessary)	
4.	Whether the organisation is registered under any law for the time being in force? If so, the details thereof.	

5.	Whether the organisation of National/ State/ District level.	
6.	Whether the organization is in receipt of assistance from the Department of Youth Affairs and Sports or any other Ministry/ Department/ Autonomous Body of the Government of India? If so, the details thereof.	
7.	Whether the organisation is in receipt of assistance from the State Government for any programme? If so, the details thereof.	
8.	Whether the organisation receives grants in cash or kind from any other organisation in India or in a foreign country? If so, the details thereof.	
9.	Details of the Proposal: a) Title and Brief Description of the Proposal. b) Nature of Programmes/ Activities to be taken up under the Proposal. c) Geographical Area to be covered under the Proposal. d) No. of youth proposed to be covered under the Proposal. e) Period/ Schedule of Implementation of the Proposal. f) Total Cost of the Proposal, with detailed break-up. g) Financial Contribution to be made by applicant, out of the total cost of the Proposal. h) Financial Assistance sought from the NYDF. i) Outcome/ Benefits expected from the Project Proposal. Please enclosed a copy of the detailed Proposal/ Scheme, covering above aspects.	
10.	Self-attested copies of the following documents to be attached with the application: (i) Registration Certificate of the Organisation (ii) Memorandum and Articles of Association/ Bye-Laws/ Regulations of the Organisation. (iii) Audited Annual Accounts of last two years (a separate report for each year). (iv) List of present members/ office bearers of the Board of Management/ Executive Committee. (v) Staff of the organization (give names and their present emoluments).	

Certified that information given above is true and that withholding of any information or furnishing incorrect information will lead to cancellation of sanction/ recovery of grant and such other action under the law.

Signature of the President/
Secretary of the organisation/ Applicant
Name -----------------------------

Place -------------------
Date -------------------

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.